

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. योजना का स्वरूप क्या है?

यह एक वर्ष की टर्म जीवन बीमा कवर योजना है , जो वर्ष दर वर्ष नवीनीकरणीय है , और जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर दिया जाता है.

प्रश्न 2. योजना के अंतर्गत लाभ और देय प्रीमियम क्या होगा?

किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रु. देय है. प्रीमियम राशि 330/- रु. के साथ सेवा कर, यदि कोई हो, प्रति सदस्य प्रति वर्ष है.

प्रश्न 3. प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा?

नामांकन में दी गयी सहमति के अनुसार यह प्रीमियम राशि खाताधारक के बैंक खाते से "ऑटो डेबिट" सुविधा के अनुसार एक किस्त में काट ली जाएगी. योजना के अनुभव की समीक्षा के दौरान पुनः जांच में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अध्यक्षीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष "ऑटो डेबिट" का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं.

प्रश्न 4. योजना को प्रस्तावित/ संचालित कौन करेगा?

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी.

प्रश्न 5. सदस्यता के लिए कौन पात्र होगा?

बैंक के सभी बचत बैंक खाताधारक , जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है, इसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे. किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई खाते हों, तो ऐसे मामले में, वह व्यक्ति केवल एक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा.

प्रश्न 6. नामांकन की अवधि तथा विधि क्या है?

प्रारंभ में, 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक की कवर अवधि के लिए , सदस्यों को 31 मई 2015 तक योजना में अपना नामांकन करवाना था तथा 31 मई 2015 तक स्वतः नामे की सहमति देनी थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2015 कर दिया गया है. इस तिथि के पश्चात् कवर प्राप्त करने के लिए नामांकन आगामी तिथि से पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के साथ निर्धारित प्रोफॉर्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर संभव होगा.

जो सदस्य प्रथम वर्ष के पश्चात् सदस्यता जारी रखना चाहते हैं, उन्हें बाद के वर्ष के लिए प्रत्येक 31 मई से पूर्व अपने बैंक खाते से ऑटो डेबिट के लिए अपनी सहमति देनी होगी. इस तिथि के पश्चात्

लंबित नवीकरण पूर्ण वार्षिक प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्व- प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है.

प्रश्न 7. क्या वे पात्र व्यक्ति जो प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए , बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं?

जी हां, ऑटो डेबिट से प्रीमियम भुगतान कर निर्धारित प्रोफॉर्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व- प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर संभावित कवर प्राप्त किया जा सकता है . नए पत्र सदस्य भविष्य के वर्षों में इसी प्रकार शामिल हो सकते हैं.

प्रश्न 8. क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे फिर से जुड़ सकते हैं?

इस योजना से बाहर निकलने वाला व्यक्ति किसी भी समय , भविष्य के वर्षों में, वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर तथा निर्धारित प्रोफॉर्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर इस योजना में फिर से शामिल हो सकता है.

प्रश्न 9. योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा?

आईडीबीआई बैंक मास्टर पॉलिसी धारक होगा.

प्रश्न 10. सदस्य के जीवन के संबंध में बीमा कब समाप्त होगा?

सदस्य के जीवन का बीमा निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी एक घटना घटने पर समाप्त होगा:

- i. 55 साल की उम्र (निकटतम जन्म दिन) होने पर बशर्ते यह कि उस तिथि (प्रवेश हालांकि, 50 वर्ष की आयु के बाद संभव नहीं होगा) तक वार्षिक नवीनीकरण हो.
- ii. बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त राशि न होने पर.
- iii. यदि सदस्य एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है और एलआईसी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में बीमा कवर रु. 2 लाख तक सीमित होगा तथा प्रीमियम जब्त किया जा सकता है.

प्रश्न 11. बीमा कंपनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी?

- i. यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित की जाएगी.
- ii. खाताधारकों से देय तिथि पर या उससे पहले ऑटो डेबिट प्रक्रिया द्वारा विकल्प के अनुसार नियत प्रीमियम की एक किस्त में वसूली तथा बीमा कंपनी को देय राशि प्रेषित करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी.

iii. निर्धारित प्रोफॉर्मा में नामांकन फॉर्म/ ऑटो डेबिट प्राधिकार/ सहमति सह घोषणा पत्र बैंक द्वारा प्राप्त किए तथा रखे जाएंगे . दावों के मामलों में एलआईसी इन्हें प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है. किसी भी समय इन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार एलआईसी के पास सुरक्षित है.

प्रश्न 12. प्रीमियम का विनियोजन कैसे होगा?

- 1) एलआईसी को बीमा प्रीमियम : रु. 289/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
- 2) बीसी/ माइक्रो/ कॉरपोरेट/ एजेंट को व्यय की प्रतिपूर्ति : रु. 30/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
- 3) बैंक को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति : रु. 11/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य

प्रश्न 13. क्या सदस्य को यह कवर , किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त कवर के अतिरिक्त होगा?

जी हां.
